सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/44 दिनांक : 15–2–2017

''कानून व्यवस्था व सुरक्षा के विषय पर बैठक का आयोजन''

सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 13–2–2017 को अपमा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरी जिला उपायुक्त श्री जतिन नरवाल जी, कश्मीरी गेट के थाना प्रभारी श्री मंगेश गेदम जी, अतिरिक्त इन्सपैक्टर श्री बाला शंकरन जी, ट्रैफिक इन्सपैक्टर श्री धरमवीर राठी जी, हैड कॉस्टेबल श्री प्रमोद त्यागी जी ने भाग लिया। इस बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था, कर्मचारियों का सत्यापन, मार्किट में सीसीटीवी कैमरे लगवाने एवं पार्किंग के विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। बैठक में अपमा के पूर्व प्रधानों, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों एवं सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में उपायुक्त महोदय ने हमारी समस्याओं को बड़े सहानुभूतिपूर्वक सुना एवं आश्वासन दिया कि इस विषय में जल्दी ही उचित कदम उठाये जायेंगे। इसके बाद पुलिस उपायुक्त महोदय जी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि आप अपने कर्मचारियों से उनका मोबाइल नम्बर, उनके दो जानने वालों के मोबाइल नम्बर, घर का पूर्ण पता एवं फोन नम्बर, उसकी फोटो और हो सके तो कर्मचारी के गॉव के प्रधान का नम्बर भी उससे लें, अपने कर्मचारी की पूर्ण जानकारी का रिकॉर्ड अपने पास रखें एवं उसकी एक कापी थाने में भी अवश्य देवें। इसके अलावा अपने कर्मचारियों का पुलिस से सत्यापन अवश्य करवायें। उपायुक्त महोदय ने कहा कि हमने देखा है कि आपके बाजार की अधिकाशं मार्किटों एवं दुकानों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है, बाजारों एवं दुकानों के अन्दर व बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि बाजार एवं दुकान के अन्दर एवं बाहर कैमरे लग गए तो आपकी दुकान के साथ–साथ क्षेत्र की सुरक्षा में इसका बहुत लाभ मिलेगा एवं अपराधिक घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। इसके बाद उपायुक्त महोदय जी ने कहा कि हमें अपने कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अन्त में उपायुक्त महोदय जी ने कहा कि शनिवार को राम बाजार में हुई दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने

कृ0प0उ0............2

के लिए सहयोग एवं समन्वय के लिए अपमा का धन्यवाद किया। पार्किंग की समस्या को ट्रेफिक इन्सपैक्टर श्री धरमवीर राठी जी के समक्ष रखा। इस पर ट्रेफिक इन्सपैक्टर जी कहा कि दिल्ली नगर निगम की खाली जगह पर पार्किंग की व्यवस्था हेतु क्षेत्र के निगम पार्षद एवं विधायक से सम्पर्क करें, इस कार्य में हमारे विभाग भी पूर्ण सहयोग करेगा। मार्किट की सुरक्षा हेतु सभी व्यापारी भाईयों से पुनः अनुरोध करते है कि अपनी दुकानों के अन्दर एवं बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें, अपने कर्मचारियों का पुलिस से सत्यापन करवायें, कर्मचारियों का फोटो, पता, सम्पर्क नम्बर के साथ पूर्ण विवरण अपने पास रखें एवं थाने में देवें।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 45

''हाऊस टैक्स जमा कराने के सन्दर्भ में''

सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि हाऊस टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2017 निर्धारित है। अतः व्यापारी भाईयों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक अपना हाऊस टैक्स जमा न कराया हो, वे निर्धारित तिथि से पहले भीड़–भाड़ से बचते हुए अपना हाऊस टैक्स 28 फरवरी, 2017 से पहले जमा करा कर मिलने वाली सुविधा का लाभ उठाएं एवं जुर्माना इत्यादि से बचें।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 46

''अपमा के सरकूलर निकालने हेतु छपे हुए पेपरों की मांग''

व्यापारी भाईयो, आपको विदित है कि अपमा के सरकूलर अधिकतर छपे हुए सुन्दर पेपरों पर जारी होते हैं। इन पेपरों में व्यापारी भाई अपने ट्रेड के उत्पादकों की तीन इंच चौड़ी रंगीन स्ट्रिप देकर विज्ञापन का लाभ उठाते हैं। आपके **PRODUCT** के प्रचार का यह बहुत ही अच्छा एवं आसान तरीका है। अपमा इसमें विज्ञापनदाता से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेती है। केवल छपा हुआ कागज लेती है। अतः इच्छुक व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन के इस सुनहरे अवसर का पूरा–पूरा लाभ उठाकर अपमा को छपे हुए पेपर देकर सहयोग प्रदान करें। एवं अपने **PRODUCT** का प्रचार करें।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव